

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक:-6/प्राक्क01-1022/2025-

802

पटना-15, दिनांक:-

22.4.25

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

विषय—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के तहत Govt. Inspection Bungalow के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार कुल 438.154 लाख रुपये (चार करोड़ अड़तीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश—योजना स्वीकृत।

2. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल का जल' के तहत पेयजल योजनाओं का निर्माण तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तहत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत Govt. Inspection Bungalow के निर्माण की आवश्यकता है।

3. उपरोक्त Govt. Inspection Bungalow का अपना पूर्व निर्मित Govt. Inspection Bungalow नहीं है। अतः उक्त Govt. Inspection Bungalow हेतु नया आवासीय भवन बनाने की आवश्यकता है।

4. इस योजना का सूत्रण भवन निर्माण विभाग के निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर किया गया है। इस योजना में दो मंजिला निरीक्षण भवन (भूतल क्षेत्रफल-6360.45 वर्गफीट एवं प्रथम तल-6557.00 वर्गफीट अर्थात् कुल-12917.45 वर्गफीट) का भवन निर्माण, पानी, बिजली का कार्य शामिल है। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट अंतर्गत Govt. Inspection Bungalow के निर्माण कार्य हेतु योजना की प्राक्कलित राशि कुल 438.154 लाख रुपये मात्र है। मॉडल प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन दिया गया है।

5. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उप शीर्ष-0103-सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-36-4216010510103-विषय शीर्ष-0103.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।

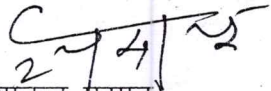
7. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

8. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

9. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007/3758/वि0 दिनांक-31-05-17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

11. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
12. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रण की कार्रवाई कर योजना का क्रियान्वयन करायेंगे।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता (असैनिक) की होगी जो योजना के कार्यान्वयन के क्रम में कम-से-कम दो बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को जरूर उपलब्ध करायेंगे।
15. वर्ष 2025-26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
17. वास्तुविद से भवन के Outlook की समीक्षा योजना के आकस्मिकता मद से करायी जाएगी।
18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. इस पर प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


 (नित्यानन्द प्रसाद)

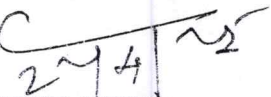
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक :-6/प्राक्क01-1022/2025- 802 पटना- 15, दिनांक :- 22.4.25
 प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, बांका/ कोषागार पदाधिकारी, बाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन/ मुख्यालय)/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी, बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ विशेष पदाधिकारी/ बजट पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/ अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-2/4/ उप निदेशक (मू0)/ प्रशाखा -6/आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


 (नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)